Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 194-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024 (AGRAHAYANA 15, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 दिसम्बर, 2024

संख्या 9/147/2024–4क II.– हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, ''पिछड़े वर्गों 'क' ''शब्द जहां कहीं भी आएं, के बाद ''और पिछड़े वर्गों 'ख' '' शब्द, चिह्न तथा वर्णाक्षर रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 71 में, उप–नियम (7) में, (i) में खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(ख क) राज्य में महापौर के पदों की कुल संख्या का **पांच** प्रतिशत, पिछड़े वर्गों 'ख' के लिए आरक्षित होगा तथा यदि दशमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा; तथा ऐसे पद खण्ड (ख) के अधीन गठित समिति द्वारा उन नगर निगमों जहां अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों 'क' के लिए पहले से ही आरक्षित है, को निकालने के बाद, पिछड़े वर्गों 'ख', जिनमें पिछड़े वर्गों 'ख' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के लिए आरक्षण हेतु प्रस्तावित नगर निगमों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाऐंगे:

परन्तु जहां इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों 'ख के लिए इस प्रकार आरक्षित महापौर के पदों की संख्या, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आरक्षित महापौर के पदों की संख्या में जोड़े जाने पर, राज्य में महापौर के पदों की कुल संख्या से पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों 'ख' के लिए आरक्षित महापौर के पदों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों 'क', पिछड़े वर्गों 'ख' तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित महापौर के पदों की कुल संख्या, राज्य में महापौर के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.– (1) इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों 'ख' के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, निगम क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस निगम में पिछड़े वर्गों 'ख' की जनसंख्या, ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोप से प्राप्त की जाए।

व्याख्या.– **(2)** इस खण्ड के अधीन पचास प्रतिशत के प्रयोजन के लिए राज्य में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, राज्य की कुल सीटों के आधे के रूप में लिया जाएगा, जहां दशमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में तथा जहां दशमलव मान 0.5 से कम है, तो आगामी निम्नतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।''; तथा

(ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(ग) राज्य में महापौर के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक–तिहाई, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों 'क' और पिछड़े वर्गों 'ख' की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सहित, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अलग–अलग निगमों मे बारी–बारी से होगा जो खण्ड (ख) के अधीन गठित समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जाएगा।''।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।